राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 पार्ट   दिनांकः– 25 APR 2017

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2017 के पैरा नं.–2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

"माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को प्रदत्त आदेश में भू–उपयोग परिवर्तन पर रोक लगायी गयी है, परन्तु वृहद जनहित में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण को प्लान्टेशन बेल्ट, इकोलॉजिकल जोन, इकोसेन्सिटिव जोन तथा रिक्रियेशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) को छोड़कर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू उपयोगों में अनुज्ञेय श्रेणी में रखा जावें, जिससे शहरी गरीबों के आवास निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।"

sd
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
11. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत्....................।
13. वरिष्ठ शासन उप सचिव–नविवि को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

2/5/17
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Letter